

फटे अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत 3 परखण्डाधीकारी सिकराय (दोस्त)
 सरकार बनाम सर्वसुरो वर्गीर
 मुकदमा नं. LRAet नियम 58, 60, मु० नं० 37/2019
 66 व 86

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/21	<p>पजावली पेश। प्र प्रनगत वाद की पजावली दि. 26.11.21 को प्रशासन गांव के रूमा अभिगाम के तहत नांदरी की जमीन गयी। केस के दौरान अद्योतलक्षकरी करी करी सम्बंधित कसतकारों की उपस्थिति में मौका देखा गया।</p> <p>पटवारी हलका के साथ केस दिवस की सर्वसुरो (ख. नं. 667) के अलावा अन्य सभी पक्षियों में चालू रास्ते की राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की मौजूक व मौजूक सहमत (जवेल शीट) व्यक्त की। सर्वसुरो पक्ष का एक ऐतराज रहा कि JLC के दो गुणा भुगतान अथवा भूमि दिचे जाने की शर्त पर ही सहमत राज्य सरकार के परिपत्र दि. 10.8.16 अनुसार भू-राजस्व आर्षी की धारा 131 व 132 तथा LRAet नियम के नियम 58, 60, 66, 86 के तहत चालू रास्ते की राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने अवधान किये गये हैं। उपरोक्त पत्रिका में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने पर किसी भी तरह के मुपानवा/भूमि दिचे जाने का अवधान नहीं है।</p> <p>अतः ग्राम नांदरी के ख. नं. शिवायचक खसरा नम्बरों 654 में 0.02 है, 655 में 0.03 है, 656 में 0.01 है, 658 में 0.03 है, 659 में 0.03 है तथा खोतेवर मिश्रान जाल की खोतेवारी में 0.04 है। प्रीलाज की खोतेवारी में 0.01 है, माधो की खोतेवारी में 0.02 है, उदयचक की खोतेवारी में 0.02 है, उमदेवी की खोतेवारी में 0.03 है ख. नं. 664, सर्वसुरो की खोतेवारी में 0.04 है ख. नं. 667 में चालू रास्ते की राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिचे जाते हैं।</p> <p>पटवारी हलका मौका पट्टी रिपोर्ट दि. 12.7.2021 व नजरी नक्शा (पटवार हलका) दि. 13.7.2021 निर्णय का भाग रहेगा।</p> <p>मुताबिक आदेश डिप्टी व तहसील जारी होकर पजावली फैसल शुमार हो।</p> <p style="text-align: right;">(प्रो. जी. सी. सिंह) न. 12.21</p>	